

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के०सी० जैन  
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1964-दो/2002 विरुद्ध आदेश दिनांक 06-07-2002 पारित  
द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक-19/निग०/1995-96

श्री. उमाशंकर त्रिपाठी तनय गैवी प्रसाद  
निवासी-ग्राम बराव तह० हनुमान, जिला-रीवा

-----आवेदक

विरुद्ध

- 1- रामायण प्रसाद तनय नर्वदा प्रसाद  
निवासी-ग्राम बराव तह० हनुमान, जिला-रीवा
- 2- मथुरा प्रसाद तनय रामकिशोर  
निवासी-ग्राम बराव तह० हनुमान, जिला-रीवा
- 3- मिथिला प्रसाद तनय रामकिशोर(मृतक) वारिसान:-
  1. विष्णु प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्व० मिथिला प्रसाद  
निवासी-ग्राम बराव थाना शाहपुर, तह० हनुमान, जिला-रीवा  
हाल निवासी-जी.सी. स्टेट जबलपुर, म०प्र०
  2. गोमती पुत्री स्व० मिथिला प्रसाद पत्नी मनकामना प्रसाद त्रिपाठी  
निवासी-शिवराजपुर, थाना नईगढ़ी, तह० मउगंज, जिला-रीवा
  3. श्यामादेवी पुत्री स्व० मिथिला प्रसाद पत्नी रामसजीवन  
निवासी-कुलबहेरिया, पोस्ट-कुलबहेरिया, थाना व तह० मउगंज  
जिला-रीवा, म०प्र०
  4. रामादेवी पुत्री स्व० मिथिला प्रसाद पत्नी शिवदेवीदीन
  5. निवासी-कुलबहेरिया, पोस्ट-कुलबहेरिया, थाना व तह० मउगंज
  6. जिला-रीवा, म०प्र०

-----अनावेदकगण

श्री डी०एस० चौहान, अभिभाषक, आवेदक  
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 17-8-2016 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 19/निग०/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 06-07-2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक उमाशंकर त्रिपाठी के पिता गैदीप्रसाद ने दिनांक 22.03.93 को ग्राम बरांव की विवादित भूमि सर्वे नं० 2440/3 रकबा 0.60 ए० के सीमांकन एवं नक्शा तरमीम हेतु आवेदन-पत्र मय संहिता की धारा 129 के तहत तहसीलदार सर्किल पहाड़ी, तहसील हनुमान, रीवा के न्यायालय में पेश किया, जिसमें प्र०क्र० 90/अ-12/93-94 दर्ज किया जाकर दिनांक 21.2.94 को आवेदन पत्र स्वीकार किया गया। तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरुद्ध अनावेदक द्वारा अपील अपर कलेक्टर, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर ने दिनांक 30.09.95 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.2.94 को निरस्त करते हुये, प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सरहदी एवं सहखातेदारों को विधिवत सूचना देते हुये राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित सीमांकन पर सुनवाई का अवसर दिया जाकर अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही की जावे। अपर कलेक्टर रीवा के इसी आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिस पर आयुक्त न्यायालय प्रकरण क्रमांक 19/निग०/1995-96 पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 06.07.2002 को आदेश पारित अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.95 स्थिर रखते हुये प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर दिया गया। अपर आयुक्त रीवा के उक्त आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

- 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत यह बताया है कि प्रश्नाधीन आदेश के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा किये गये नक्शा तरमि आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर द्वारा किये किये आदेश की वेधता का परीक्षण किया गया है, तथा निगरानी प्रकरण क्र० 18/निग./95-98 की भांति ही अपना निर्णय दिया गया है, जो कि गलत है। नक्शा तरमिम एवं सीमांकन की कार्यवाही को स्वरूप कार्यवाही होने से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने गंभीर भूल की है। उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया है कि आवेदक के पक्ष में किये गये नक्शा तरमिम आदेश को सीमांकन प्रकरण के साथ प्रत्यावर्तित करने का अपर जिलाध्यक्ष के निर्णय को कायम रखने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित निगरानी प्रकरण के आवेदन गैवीप्रसाद की मृत्यु के बाद उसके वारिस आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा०दी० का निराकरण किये बगैर गुणदोष पर पारित आदेश अवैध है। अतः निगरानी स्वीकार किया जावे।
- 4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।
- 5/ मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक उमाशंकर के पिता गैवा प्रसाद द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष सीमांकन एवं नक्शा तरमीम कराने का आवेदन-पत्र संहिता की धारा 129 के तहत प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू-खंड संख्यांक का सीमांकन- (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू-खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। इस संबंध में 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरुद्ध म०प्र० राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है- "म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (म०प्र०)- धारा 129- समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म०प्र० वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म०प्र० वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित। इसी प्रकार 1998 आर एन 106



(उच्च न्यायालय) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि - "सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।" स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरुद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं - "म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (म०प्र०)- धारा 129 - सीमांकन- विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई- निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई-कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया-एक-भी साक्षी नामित नहीं-पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई-ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।" 1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा-

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,
2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची -1 के नियम 11 से 14 में विहित प्रक्रिया के अनुसार सूचना देना, यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरुद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है- " भू-राजस्व संहिता, 1959 (म०प्र०)- धारा 129- उपबंध के अधीन कार्यवाही - से अभिप्रेत - भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है - हितबद्ध व्यक्ति है - व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है - हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता- ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहियों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।
3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,



4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमाएं समझाना,
  5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,
  6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,
  7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,
  8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना। 2014 आर. एन. 69 बंदी प्रसाद विरुद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ-साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।
- 6/ अतः उक्त प्रावधान के परिपालन में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2002 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सरहदी एवं सहखातेदारों को विधिवत सूचना देते हुये राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित सीमांकन पर सुनवाई का अवसर दिया जाकर अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही की जावे ।

(के०सी० जैन)

सदस्य,  
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश,  
ग्वालियर,